संख्या– 870/तीस–3–11–13वी/2010

प्रेषक,

शिवानन्द ओझा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 अप्रैल 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/11 दिनांक 21–3–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–43 के लेखा शीर्षक ,,2041–वाहन कर–800–अन्य व्यय–03–स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान,, में प्राविधानित धनराशि रू0 12685 हजार (रूपये एक करोड़ छबीस लाख पचासी हजार मात्र) को आवंटित करते हुए जिसका लेखाशीर्षकवार विवरण निम्नवत है, को कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम	स्वीकृत प्राविधान
लेखाशीर्षक–2041–वाहन कर–800–अन्य व्यय–03– स्टेट ट्रांसपोर्ट अधिष्ठान	
01–वेतन	7500
02–मजदूरी	30
03–महंगाई भत्ता	3975
04–यात्रा व्यय	30
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
06–अन्य भत्ते	500
07–मानदेय	05
08–कार्यालय व्यय	65
09–विद्युत देय	40
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30
13–टेलीफोन पर व्यय	35
17–किराया ,उपशुल्क और कर– स्वामित्व	150
42–अन्य व्यय	30
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10
45–अवकाश यात्रा व्यय	30
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	70
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25
49–चिकित्सा व्यय	30
51–वर्दी व्यय	05
योग :	12685

2– आवंटित धनराशि को व्यय करने से [illegible] के) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/11 दिनांक [illegible] त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है।) साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का एवं नियमों का पालन किया जाय । जहां टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहां उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

3–उपयुर्क्त आवण्टित धनराशियों का मिलान आय–व्ययक साहित्य 2011–12 से कर लें तथा यदि कोई विसंगति प्रकाश में आये तो उससे शासन को तत्काल अवगत करायें।

4– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–9 एवं परिवहन अनुभाग–3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(शिवानन्द ओझा)
विशेष सचिव।

संख्या– 878- (1)/तीस–3–11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5– वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
7– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–9
8– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, लखनऊ।
9– गार्ड फाइल।

8/4/11

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी)
उप सचिव।